वाद / महत्वपूर्ण
संख्या–391 / XVIII(2) / 2009

प्रेषक,

सुभाष कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

1. मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड,
देहरादून।
2. अपर मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड,
देहरादून।
3. आयुक्त कुमायूं मण्डल नैनीताल / गढवाल मण्डल पौडी।
4. समस्त जिलाधिकारी उत्तराखण्ड।

राजस्व अनुभाग–2 देहरादून: दिनांक 5 फरवरी, 2009

विषय–राजस्व विभाग से सम्बन्धित सिविल मामलों में शासन के विरूद्ध मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय में दायर की जाने वाली रिट याचिकाओं में प्रतिवाद के आदेश / प्रतिशपथ पत्र योजित किये जाने की अनुमति निर्गत किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक न्याय विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–190–एक(1) / छत्तीस(1) / न्या0अनु0 / 2005 दिनांक–04.06.2005 एवं शासनादेश संख्या–50–एक(1) / XXXVI(1) / 2006 दिनांक–04 सितम्बर, 2006 के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि रिट याचिकाओं में प्रतिवाद की तात्कालिक आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए और प्रकरणों में त्वरित सुनवाई को सुगम बनाये जाने के उद्देश्य से मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय में राजस्व विभाग से सम्बन्धित सिविल मामलों में शासन अथवा उसके अधीनस्थ किसी विभाग / अधिकारी के विरूद्ध योजित रिट याचिकाओं / अपीलों में प्रतिवाद के आदेश निर्गत करने / प्रतिशपथ पत्र योजित किये जाने की अनुमति सम्बन्धी आदेश निर्गत किये जाने की कार्यवाही निम्नानुसार की जायेगी:–

(1) शासन स्तर से— सेवा सम्बन्धी रिट याचिकाओं में जिन मामलों में याची के नियुक्ति प्राधिकारी शासन है उनके सम्बन्ध में प्रतिवाद आदेश शासन स्तर से निर्गत किये जायेंगे।

(2) विभागाध्यक्ष— जिन मामलों मे नियुक्ति प्राधिकारी सी0आर0सी0 / ए0सी0आर0सी0 अथवा इनके अधीनस्थ अधिकारी हैं, उनके सम्बन्ध में प्रतिवाद आदेश विभागाध्यक्ष स्तर से निर्गत किये जायेंगे।

.....2

(3) अन्य प्रकार की सिविल रिट याचिकाओं में जिनमें शासन को पक्षकार बनाया गया हो उसमे प्रतिवाद आदेश शासन द्वारा जारी किया जायेगा।

(4) जो नीति विषयक मामले हो, जिनमे किसी अधीनियम, नियमावली, अधिसूचना, नियम, शासनादेश अथवा शासन के किसी विभाग द्वारा जारी किसी भी प्रकार के पत्र को चुनौती दी गयी हो, उसके सम्बन्ध में प्रतिशपथ पत्र दायर करने से पूर्व प्रस्तावित प्रतिशपथ पत्र को शासन के अनुमोदनार्थ अवश्य भेजा जायेगा, जिससे की शासन द्वारा आवश्यकता पड़ने पर कार्मिक/वित्त/न्याय विभाग को परामर्श प्राप्त किया जा सकेगा।

(5) उक्त के अतिरिक्त शासन स्तर के अधिकारियों के विरूद्ध अर्थात् वे अधिकारी जिनके नियुक्ति प्राधिकारी शासन है के विरूद्ध अवमानना की स्थिति उत्पन्न होने पर अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रकरण शासन को सन्दर्भित किये जायेगें।

(6) स्पेशल अपील अथवा विशेष अपील अथवा पुनर्रीक्षण याचिका आदि विशेष वादों कि स्थिति में किसी प्रकार के अनुमति की आवश्यकता होने पर भी प्रकरण शासन को ही सन्दर्भित किये जायेगें।

कृपया तदनुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सुभाष कुमार)
प्रमुख सचिव।

पृ0प0सं0- 381 (1)/तद्दिनांक/2009

प्रतिलिपि- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- महा अधिवक्ता उत्तराखण्ड नैनीताल।
2- समस्त अपर महा अधिवक्ता उत्तराखण्ड शासन।
3- मुख्य स्थायी अधिवक्ता मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय नैनीताल।
4- सचिव, न्याय विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5- न्याय अनुभाग उत्तराखण्ड शासन।
6- निदेशक एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर देहरादून।
7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(संतोष बडोनी)
अनु सचिव।